

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

शनिवार, 28 मार्च, 2026/7 चैत्र, 1947(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:-

(1) तारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का 46वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें तथा तुलन-पत्र, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री चन्द्र कुमार, कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा-62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊंसिल का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
 - (i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जिला परिषदों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25।
 - (ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पंचायत के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट (जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत), वर्ष 2024-25।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
 - (1) समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 154वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;
 - (2) समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) पर बने 103वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है;
 - (3) समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 115वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा गृह विभाग से सम्बन्धित है; और
 - (4) समिति का 196वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 36वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है।
- (2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
 - (1) समिति का 33वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 39वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है; और
 - (2) समिति का 28वाँ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) पर बने 77वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है।

- (3) श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन जोकि स्थानीय शहरी निकायों द्वारा डबल एंट्री लेखांकन पद्धति को लागू न करने की संवीक्षा पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान:

वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171004
दिनांक: 27 मार्च, 2026

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, को भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8 — शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“शिक्षा”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री बिक्रम सिंह
3. श्री सुख राम चौधरी
4. श्री विनोद कुमार
5. श्री रणधीर शर्मा
6. श्रीमती रीना कश्यप
7. डॉ जनक राज
8. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर
9. डॉ हंस राज
10. श्री लोकेन्द्र कुमार,

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 27.03.2026

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 –स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	9
1. श्री जय राम ठाकुर		
2. श्री विपिन सिंह परमार		
3. श्री अनिल शर्मा		
4. श्री बिक्रम सिंह		
5. श्री सुख राम चौधरी		
6. डॉ हंस राज		
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल		
8. श्री विनोद कुमार		
9. श्री रणधीर शर्मा		
10. श्री बलबीर सिंह वर्मा		
11. श्री सुरेन्द्र शौरी		
12. श्री राकेश जम्वाल		
13. श्री इन्द्र सिंह गांधी		
14. श्री प्रकाश राणा		
15. श्री जीत राम कटवाल		
16. श्रीमती रीना कश्यप		
17. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर		
18. डॉ जनक राज		
19. श्री लोकेन्द्र कुमार		
20. श्री दीप राज		
21. श्री दलीप ठाकुर		
22. श्री त्रिलोक जम्वाल		
23. श्री पवन काजल,		
	1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन। 2. सरकार की शहरी स्वास्थ्य सेवाएं की नीति का अननुमोदन। 3. सरकार की चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।	

शिमला-171004.
दिनांक 27.03.2026

सचिव,
विधानसभा।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 10 —लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	नीति का अननुमोदन	10
--	------------------	----

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन’

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री अनिल शर्मा
3. श्री बिक्रम सिंह
4. श्री सुख राम चौधरी
5. डॉ हंस राज
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
7. श्री विनोद कुमार
8. श्री रणधीर शर्मा
9. श्री इन्द्र सिंह गांधी
10. श्री बलबीर सिंह वर्मा
11. श्री जीत राम कटवाल
12. श्री प्रकाश राणा
13. श्रीमती रीना कश्यप
14. श्री लोकेन्द्र कुमार
15. श्री दीप राज
16. श्री पवन काजल
17. श्री राकेश जम्वाल
18. डॉ जनक राज,

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की मशीनरी तथा उपकर की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 27.03.2026

सचिव,
विधानसभा।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11 – कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	11
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “कृषि” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	
1. श्री जय राम ठाकुर		
2. श्री बिक्रम सिंह		
3. श्री सुख राम चौधरी		
4. डॉ हंस राज		
5. श्री रणधीर शर्मा		
6. श्री बलबीर सिंह वर्मा		
7. श्री लोकेन्द्र कुमार		

- सरकार की मुख्य मन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 27.03.2026

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 —सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या:

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	13
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	
1. श्री जय राम ठाकुर		
2. श्री अनिल शर्मा		
3. श्री बिक्रम सिंह		
4. श्री सुख राम चौधरी		
5. डॉ हंस राज		
6. श्री विनोद कुमार		
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल		
8. श्री इन्द्र सिंह गांधी		
9. श्री रणधीर शर्मा		
10. श्री बलबीर सिंह वर्मा		
11. श्री सुरेन्द्र शौरी		
12. श्री लोकेन्द्र कुमार		
13. श्री दलीप ठाकुर		

- सरकार की वर्तमान सिंचाई एवं जलापूर्ति नीति का अननुमोदन।
- सरकार की ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम नीति का अननुमोदन।
- सरकार की बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 27.03.2026

सचिव,
विधान सभा।
